



आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 128 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 512/418 की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।





(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (उदयपुर)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (उदयपुर)